

8.5.2018

जमाबंदी रद्द वाद संख्या 50/2017-18
राज्य बनाम मो० इदरीश अंसारी वगैरह पिता अली मोहम्मद साकिन चिरुडीह, पीरटांड
आदेश

भूमि सुधार उप समाहर्ता -सह- अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरी के पत्रांक 237 दिनांक 21.02.2018 द्वारा अभिलेख प्राप्त हुआ है।

अभिलेख अन्तर्गत मौजा चिरुडीह थाना नं० 55 के खाता नं० 01/41 प्लॉट नं० 85, 86, 87 रकवा 5.46 एकड़ गैरमजरूआ खास जंगल भूमि की मो० इदरीश अंसारी वगैरह पिता अली मोहम्मद साकिन चिरुडीह अंचल पीरटांड के नाम कायम अवैध जमाबंदी को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प ज्ञापांक 6144/रा० दिनांक 21.12.2017 के आलोक में रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अभिलेख अन्तर्गत पक्षकारों को सूचना निर्गत कर भिन्न-भिन्न तिथियों को सुनवाई की गई।

अभिलेख अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए-

मौजा चिरुडीह थाना नं० 55 के खाता नं० 01/41 प्लॉट नं० 85, 86, 87 रकवा 5.46 एकड़ भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास जंगल भूमि है।

वादगत भूमि अनिबंधित सादा हुकुमनामा से प्राप्त बताया गया। भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा प्रश्नगत भूमि का रिटर्न दाखिल नहीं है।

वर्ष 1954-55 के फिल्ड बुझारत पंजी में दखल कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित नहीं है। जमाबंदी वगैर सक्षम पदाधिकारी के आदेश के कायम है।

स्पष्ट है कि जमाबंदी एक लम्बी अवधि के बाद वर्ष 1978-79 में कायम किया गया है।

अतः इस परिप्रेक्ष्य में सादा हुकुमनामा की विश्वसनीयता नहीं रह जाती है।

राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प ज्ञापांक 6144/रा० दिनांक 21.12.2017 द्वारा गैरमजरूआ खास जंगल झाड़ी भूमि को प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में रखा गया है।

स्पष्ट है कि सरकार के हित को नुकसान पहुँचाने एवं व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से पंजी II में अनाधिकृत प्रविष्टि की गई है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में मौजा चिरुडीह थाना नं० 55 के खाता नं० 01/41 प्लॉट नं० 85, 86, 87 रकवा 5.46 एकड़ गैरमजरूआ खास जंगल भूमि की मो० इदरीश अंसारी वगैरह पिता अली मोहम्मद साकिन चिरुडीह अंचल पीरटांड के नाम कायम अवैध जमाबंदी को जगदेव महतो एवं कमिशनर में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत रद्द की जाती है।

सम्पुष्टि हेतु अभिलेख आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल हजारीबाग के माध्यम से सरकार को भेजी जाय।

अपर समाहर्ता,
गिरिडीह।

उपायुक्त, गिरिडीह।